न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

विराजमान अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
वाद सं0 12/16
निर्णय दिनांक: 08.09.2018

1. जमनादेवी पत्नि स्व0 श्री नारायण जाति अहीर नि0 श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 लक्ष्मीपुरा

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति अहीर नि0 श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 जेठपीठ नगर मदार अजमेर राज0
2. शंकरलाल पुत्र कल्याण जाति अहीर नि0 श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 वार्ड सं0 5 ढाणी ईसाईयान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खाता सं0 222 की आराजी खं0नं0 259 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 260 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 261 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 262 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 263 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 264 रकबा 13 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 265 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 266 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 267 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 268 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 269 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 270 रकबा 12 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 271 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 272 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 273 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 274 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 280 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 286 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 287 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 288 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 289 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 290 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 291 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 292 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 293 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 7 विस्वा वाकै नरायना पo हo नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थिति है जिसमें वादीया का पति श्री नारायण पुत्र कल्याण 1/4 हिस्सें का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार था जो श्रीनारायण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय की थी तब से श्रीनारायण व वादीया जो पति पत्नि थे काबिज काश्त चले आ रहे थे और श्री नारायण के स्वर्गवास बाद वादीया जो उसकी विधवा है उक्त आराजी पर उसके छोड़ेह ुये 1/4 हिस्सें पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रतिवादी सं0 1 वादीया का जेठ लगता है, प्रतिवादी सं0 2 वादीया का देवर लगता है एवं स्व0 कल्याण के जायंदा पुत्र है। वादीया मृतक श्रीनारायण की पत्नि थी ओर वादीया व

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

श्रीनारायण के मध्य हिन्दू रिति रिवाज अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ था दोनों के सम्पर्क से कोई संतान उत्पन्न नही हुयी और उक्त श्रीनारायण के स्वर्गवास बाद उसके छोडे हुये 1/4 हिस्से की आराजी की वादीया मृतक श्रीनारायण की पत्नि होने के कारण उसके हिस्से की फौती नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है। वादीया अपने पति श्रीनारायण के स्वर्गवास बाद ग्राम लक्ष्मीपुरा मे पुनः विवाह कर कालूराम के साथ रहने लगी है और अपने पति की छोडी हुयी 1/4 हिस्सें की आराजी अपने जेठ रामजीलाल व देवर शंकरलाल को काश्त हेतु बता दी और श्रीनारायण के छोडे हुये 1/4 हिस्सें की खातेदारी वादीया ने अपने नाम खुलाने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन कर दिया था जिस पर पटवारी ने फौती नामान्तकरण खोलने का आश्वासन दे दिया था। वादीया मृतक श्रीनारायण की विवाहिता पत्नि होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उसके 1/4 हिस्सें की फौती नामान्तकरण खुलाने की काश्तकारी प्रावधानों के अनुसार हकदार है दिनांक 04.01.2016 को वादीया जब पटवारी हल्का के पास अपने पति की छोडी हुयी 1/4 हिस्सें की आराजी का फौती नामान्तकरण की जानकारी करने गयी तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण अपने भाई श्रीनारायण के वारिस बनकर उसके छोड़े हुये 1/4 हिस्सें का नामान्तकरण खुलाने का आवेदन कर दिया और वादीया को उसके पति की छोडी हुयी आराजी से वंचित करने पर उतारू है इस पर वादीया अपने जेठ/देवर प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर श्रीनारायण के छोड़े हुये हिस्सें के नामान्तकरण बाबत् कहा तो उन्होंने अपने नाम नामान्तकरण खुलाने की धमकी दी व वादीया के अधिकारों से इंकार किया इसलिए वादीया को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री अजयसिंह ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादीया को 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित है। दिनांक 13.02.17 को वकील वादी ने एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के समर्थन में जो लिखित जवाब दावा पेश किया है उसमें वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है इसलिए इस वाद पत्र में विवाधक निश्चित करना आवश्यक नहीं है। वकील वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली मे मौजूद प्रतिवादी सं0 1 व 2 के जवाब दावें का अवलोकन किया गया इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा जो लिखित कथन पेश किया है वह वादीया का वाद स्वीकार करने के समर्थन में किया है इसलिए वादी का प्रा0पत्र स्वीकार कर वादीया के बयान लेखबद्ध किये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादीया ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय वादीया व गवाह गोपाल, मोहनलाल, जयनारायण, रामनिवास,

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

शीताराम, मंगला के शपथ पत्र पेश किये तथा वादीया जमनादेवी व गवाह जगनारायण, रामनिवास, शीताराम व नवल के बयान लेखबद्ध करवाये गये। वकील वादी और शपथ पत्र पेश नहीं करना चाहते है इसलिए वादी की साक्ष्य बन्द की गयी। पत्रावली दिनांक 08.09.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान वकील उपस्थित होकर मुताबिक वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री करने की सहमति दी। जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीया का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद बाबत घोषणा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 222 की आराजी खं0नं0 259 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 260 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 261 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 262 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 263 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 264 रकबा 13 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 265 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 266 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 267 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 268 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 269 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 270 रकबा 12 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 271 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 272 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 273 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 274 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 280 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 286 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 287 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 288 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 289 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 290 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 291 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 292 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 293 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 7 विस्वा वाकै नरायना प0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्व0 श्रीनारायण पुत्र कल्याण की वादीया विवाहित पत्नि होने के कारण उसके छोड़े हुये 1/4 हिस्सें का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.09.2018 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी साम्भर लेक मुकाम साम्भर लेक

बइजलास श्री वीरेन्द्रसिंह यादव, आर0ए0एस0

जगनादेवी बनाम रामजीलाल वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 12 / 16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री झाबरमल चौधरी व हाजरी श्री अजयसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद बाबत घोषणा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 222 की आराजी ख0नं0 259 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 260 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 261 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 262 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 263 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 264 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 265 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 266 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 267 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 268 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 269 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 270 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 271 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 272 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 273 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 274 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 280 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 286 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 287 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 288 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 289 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 290 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 291 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 292 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 293 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा वाकै नरायना प0स0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्व0 श्रीनारायण पुत्र कल्याण की वादीया विवाहित पत्नि होने के कारण उसके छोड़े हुये 1/4 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है निज .... मुबलिग.................... बाबत.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक....................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 सन 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner